

**भारत सरकार**  
**प्रकाशन विभाग**  
**(आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय)**  
**सिविल लाइन, दिल्ली 110054**

सं. 761/संगठन एवं पद्धति/2014-16

दिनांक : 01/04/2016

विषय:- भारत के राजपत्र तथा दिल्ली राजपत्र में विज्ञापनों/सूचनाओं के प्रकाशन मूल्य में संशोधन।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया गया है कि विज्ञापनों/ सूचनाओं के प्रकाशन कि मौजूदा दरों को वर्ष 2016-17 के लिए 01/04/2016 से प्रभावी माना गया है जो कि निम्नांकित है :-

क्रम संख्या	भारत के राजपत्र/दिल्ली के राजपत्र खंड/उपखंड तथा विज्ञापन के प्रकार	वर्ष 2016-17 के लिए संशोधित दर (रुपये में)
1	<b>भारत का राजपत्र भाग III, खंड-IV, साप्ताहिक तथा असाधारण</b>	5500 प्रति पूर्ण पृष्ठ
	<b>कृपया नोट करें:</b> भारत के राजपत्र भाग III, खंड IV (असाधारण) में आधे पृष्ठ के मूल्य लागू नहीं होंगे क्योंकि इसमें सरकारी कार्यालयों संगठनों/ विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के विज्ञापन प्रकाशित होते हैं।	4000/- प्रति आधा पृष्ठ
		2800/- न्यूनतम अग्र पृष्ठ के लिए 280/- प्रति सें. मी., 10 सें. मी. तक एकल खाने के लिए
2.	<b>भारत का राजपत्र भाग IV</b>	
(i)	नाम परिवर्तन की सूचना (वयस्क/बालिग)	1100/- प्रति मामला
(ii)	नाम परिवर्तन की सूचना (अवयस्क/नाबालिग)	1700/- प्रति मामला
(iii)	सार्वजनिक सूचना	1400/- प्रति मामला
(iv)	गोद लेने/दत्तक ग्रहण की सूचना	1700/- प्रति मामला
(v)	खोने/नष्ट होने/चोरी होने की सूचना	1900/- प्रति मामला
		5700/- लगातार तीन अंकों के लिए
(vi)	कम्पनी की सूचना	5500/- प्रति पूर्ण पृष्ठ
		4000/- प्रति आधा पृष्ठ
		2800/- न्यूनतम अग्र पृष्ठ के लिए 280/- प्रति सें. मी., 10 सें. मी. तक एकल खाने के लिए
(vii)	धर्म परिवर्तन	1700/- (प्रति मामला)
3.	<b>प्रवासी भारतीयों के द्वारा सूचना के लिए</b>	
	(क) उपरोक्त मद सं. 2(i) के लिए	3500/-
	(ख) उपरोक्त मद सं. 2(ii) के लिए	5100/-

		2800/- न्यूनतम अग्र पृष्ठ के लिए 280/- प्रति सें. मी., 10 सें. मी. तक एकल खाने के लिए
4.	दिल्ली का राजपत्र भाग II, खंड II	5500/- प्रति पूर्ण पृष्ठ
		4000/- प्रति आधा पृष्ठ
		2800/- न्यूनतम अग्र पृष्ठ के लिए 280/- प्रति सें. मी., 10 सें. मी. तक एकल खाने के लिए
5.	दिल्ली का राजपत्र भाग III, (साप्ताहिक)	5500/- प्रति पूर्ण पृष्ठ
		4000/- प्रति आधा पृष्ठ
		2800/- न्यूनतम अग्र पृष्ठ के लिए 280/- प्रति सें. मी., 10 सें. मी. तक एकल खाने के लिए
6.	दिल्ली का राजपत्र भाग V, खंड II	5500/- प्रति पूर्ण पृष्ठ
		4000/- प्रति आधा पृष्ठ
		2800/- न्यूनतम अग्र पृष्ठ के लिए 280/- प्रति सें. मी., 10 सें. मी. तक एकल खाने के लिए

रजनी शर्मा

(लुसी ज्योति बेक)

सहायक नियंत्रक (वा.)

सेवा में,

1. नियंत्रक प्रकाशन के वैयक्तिक सहायक
2. वित्तीय अधिकारी के वैयक्तिक सहायक
3. सहायक नियंत्रक (प्रा.) के वैयक्तिक सहायक
4. विज्ञापन अनुभाग
5. बिक्री पटल/किताब महल
6. ई-राजपत्र- विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए
7. हिन्दी अनुभाग- हिन्दी अनुवाद के लिए
8. सूचना पट्ट
9. गार्ड फ़ाइल

प्रतिलिपि प्रेषित :-

निदेशक (पी एस पी), शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली, सूचना के लिए।

रजनी शर्मा

सहायक नियंत्रक (वा.)